न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 215/2023

उनवान

1– मु0 चांदी पत्नी चौथु माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा

2–3 रामकुंवार, हरिश्चन्द्र पिता चौथु माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रायमल पुत्र मगना माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा

2– रामकरण पुत्र बन्ना खाती निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **10/10/2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **पोण्ड्रिक जी का खेड़ा पटवार हल्का डाबला कचरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1/555 रकबा 0.80, 12 रकबा 1.66 है0** कुल किता 2 रकबा **2.46** हैक्टेयर के **प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के **विपक्षीगण** पड़ौसी है। **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थीगण** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम पोण्ड्रिक जी का खेड़ा पटवार हल्का डाबला कचरा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **पोण्ड्रिक जी का खेड़ा** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 2 रकबा 2.46 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1000/– रूपये** कायम किये जाते है, जो **प्रार्थीगण** से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **10/10/2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज.)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा